



## “ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की साइबर अपराध के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन”

डॉ. वेद प्रकाश शर्मा,

शोध निदेशक,  
महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर

सुनीता कुमारी शर्मा

शोधार्थी,  
महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर

### इजतंबज:

**सार:—** वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, अपनी जानकारी को सांझा करने, गेम्स खेलने, खरीददारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया है। वर्तमान समय में हमारे युवा व बच्चे सोशल नेटवर्किंग साइटों के प्रयोग पर अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे नई-नई तकनीकियों का प्रयोग सीखना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है वास्तव में प्रयोग करना सीखने का एक अच्छा प्रयास है लेकिन उपयुक्त मार्गदर्शन की भी नितान्त आवश्यकता है ताकि वह स्वयं को साइबर तकनीकी के प्रतिकूल प्रभाव से बचा सके लेकिन वर्तमान समय में हमारा युवा इंटरनेट का प्रयोग अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करता है परन्तु इंटरनेट की पूर्ण रूप से जानकारी न होने के कारण या सुविधा का लाभ उठाने के लिए या फिर लालच में आकर जाने-अनजाने में ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिन्हे हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ये साइबर अपराध वर्तमान में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसके कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। साइबर अपराध कम्प्यूटर जनित अपराधों का नया रूप है। इन अपराधों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शोधार्थी ने इस समस्या का चुनाव अपने शोध के विषय के रूप में किया है जिसमें उसने यह देखने का प्रयास किया है कि ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों का साइबर अपराध के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक स्तर क्या रहा?

ज्ञमल वूतकेरू. जागरूकता, शिक्षण प्रशिक्षणार्थी, साइबर अपराध, ग्रामीण व शहरी स्तर का प्रभाव।

### प्रस्तावना:—

वर्तमान तकनीकी युग में कम्प्यूटर और इंटरनेट का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण कोई भी कार्य बिना कम्प्यूटर की सहायता से करा बहुत मुश्किल लगता है। कम्प्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को देखते हुये अपराधी भी इस तकनीक के माध्यम से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वह अपराध को अंजाम देने के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेज और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से ठगी या चोरी करना भी इसी श्रेणी में आता है। किसी की वेबसाइट को हैक करना या सिस्टम डेटा को चुराना यह सभी तरीके साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

साइबर अपराध पूरी दुनिया में सुरक्षा और जाँच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। साइबर अपराध एक ऐसी अवैध गतिविधि है जिसमें कम्प्यूटर को एक माध्यम के रूप में या निशाने के रूप में या अपराध करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि साइबर अपराध एक ऐसा अवैधानिक कृत्य है जिसमें कम्प्यूटर साधन के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियां शामिल रहती है और ये गतिविधियां कम्प्यूटर डाटा या सिस्टम की गोपनीयता या विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव डालती है और जिनसे कम्प्यूटर में संग्रहित सामग्री और कॉपीराइट संबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है।

साइबर अपराध की प्रकृति:— यह अपराध अन्तर्देशीय स्वरूप का होता है क्योंकि इसका प्रभाव विश्व के विभिन्न देशों तक होता है। साइबर अपराध में अपराधकर्ता दूर रहकर भी अपने अपराध के लक्ष्य बिन्दु के सम्पर्क या सामने आये बिना अपने अपराध को क्रियान्वित कर सकता है। जिसके फलस्वरूप उसके पकड़े जाने के अवसर नगण्य प्रायः होते हैं और यदि पकड़ा भी जाये तो इसे साक्ष्य के आधार पर साबित करना अत्यन्त कठिन होता है।

साइबर अपराध के प्रकार:—

1. ऐसे अपराध जिनमें कम्प्यूटर को लक्षित किया जाता है जैसे— हैकिंग वायरस का आक्रमण आदि।
2. ऐसे अपराध जिनमें कम्प्यूटर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे – साइबर आतंकवाद, क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी, बौद्धिक सम्पदा अधिकार उल्लंघन, पोर्नोग्राफी, बच्चों के विरुद्ध अपराध आदि।

एन.सी.आरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस श्रेणी के तहत अपराध दर 2019 में 3.3 फीसदी से बढ़कर 2020 में 3.7 फीसदी हो गई है। 2020 में दर्ज किए गए साइबर अपराध के 60.2 प्रतिशत मामले (30,142) धोखाधड़ी के थे। यौन शोषण के 6.6 फीसदी (3,293) और वसूली के 4.9 फीसदी (2,440) मामले सामने आये।

ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड 4,047, ओटीपी धोखाधड़ी 1,093, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड 1,194, एटीएम से जुड़े केस 2,160, सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना 578, ऑनलाइन परेशान करने के केस 972, फर्जी प्रोफाइल 149, आंकड़ों की चोरी 98 मामले सामने आये।

**अध्ययन के उद्देश्य:—**

1. साइबर अपराध के प्रति शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का अध्ययन।
2. साइबर अपराध के प्रति महिला एवं पुरुष शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. साइबर अपराध के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. साइबर अपराध के प्रति स्नातक एवं परास्नातक शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. साइबर अपराध के प्रति शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का कम्प्यूटर कक्षा के साथ साहचर्य का अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पना:—**


1. साइबर अपराध के प्रति महिला एवं पुरुष शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।
2. साइबर अपराध के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।
3. साइबर अपराध के प्रति स्नातक एवं परास्नातक शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।
4. साइबर अपराध के प्रति शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का कम्प्यूटर कक्षा के साथ सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

**अनुसंधान की विधि :—**

प्रस्तुत शोध की समस्या को भलिभांति समझकर अध्ययन से संबंधित साहित्य का अवलोकन व अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

Level of cyber crime behaviour \* Location Crosstabulation


		Location		Total	
		Rural	Urban		
Level of cyber crime behaviour	Below average awareness	Count	5	4	9
		% within Location	2.1%	2.1%	2.1%
	Moderate / Average awareness	Count	125	53	178
		% within Location	51.7%	27.9%	41.2%
	Above average awareness	Count	39	42	81
		% within Location	16.1%	22.1%	18.8%
	High awareness	Count	37	55	92
		% within Location	15.3%	28.9%	21.3%
	Excellent awareness	Count	36	36	72
		% within Location	14.9%	18.9%	16.7%
Total	Count	242	190	432	
	% within Location	100.0%	100.0%	100.0%	



Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.999 <sup>a</sup>	4	.000
Likelihood Ratio	27.467	4	.000
Linear-by-Linear Association	16.075	1	.000
N of Valid Cases	432		

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.96.



Group Statistics

Location	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	
CCAS	Rural	242	125.81	13.690	.880
	Urban	190	130.88	13.504	.980

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
CCAS	Equal variances assumed	.124	.724	-3.850	430	.000	-5.078	1.319	-7.671	-2.486
	Equal variances not assumed			-3.856	408.490	.000	-5.078	1.317	-7.667	-2.490

**अध्ययन के उपकरण :-**

अध्ययन को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित मानकीकृत उपकरणों का उपयोग किया गया है।

साइबर जागरूकता मापने के लिए डॉ. राजशेखर द्वार निर्मित (साइबर क्राइम अवेयनेस स्केल) बौद्ध मानकीकृत मापनी का प्रयोग किया गया है।

**जन समष्टि :-**

अध्ययन के लिए जयपुर शहर के शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी जन समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**न्यादर्श :-** प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा न्यादर्श के रूप में जयपुर क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 313 महिला शिक्षक प्रशिक्षणार्थी व 119 पुरुष शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को सौद्देश्य न्यादर्श चयन विधि द्वारा चयन किया गया है।

## परिणामों का प्रस्तुतिकरण तथा उनकी व्याख्या :-

उद्देश्य 3 से संबंधित प्रदत्त विश्लेषण परिणाम तथा उनकी व्याख्या—

विश्लेषण – उपरोक्त शोध पत्र में प्रशिक्षणार्थियों के स्थान (ग्रामीण और शहरी) के आधार पर सहमति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। कुल 242 ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों में से लगभग औसत जागरूकता स्तर 51.7 प्रतिशत रहा तथा औसत जागरूकता से उपर 16.1 प्रतिशत रहा तथा उच्च जागरूकता प्रतिशत 15.3 प्रतिशत रहा जबकि उत्कृष्ट जागरूकता 14.9 प्रतिशत रही इसके साथ ही 190 शहरी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में से औसत जागरूकता प्रतिशत 27.9 प्रतिशत रहा तथा औसत जागरूकता के स्तर से उपर 22.1 प्रतिशत रहा वहीं उच्च जागरूकता प्रतिशत 21.3 प्रतिशत है उत्कृष्ट जागरूकता प्रतिशत 16.7 प्रतिशत रहा। टी वैल्यू के माध्यम से इनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसमें ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों का जागरूकता औसत मूल्य 125.81 प्रतिशत है जबकि शहरी प्रशिक्षणार्थियों का जागरूकता औसत मूल्य 130.88 है।

निष्कर्ष : इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता के स्तर में स्थान के आधार पर सार्थक अन्तर पाया जाता है। ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का स्तर कम है वहीं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का स्तर ज्यादा है क्योंकि शहरी प्रशिक्षणार्थी समय-समय पर शिक्षण संस्थाओं में हो रहे जागरूकता कार्यक्रमों से विद्यार्थी ज्यादा जागरूक हो रहे जबकि ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों के सामने जागरूकता कार्यक्रमों का अभाव रहा है।

### सन्दर्भ ग्रंथ—

1. डॉ. परांजये ना.वि: अपराध शास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीडन शास्त्र।
2. सिंह जे. 2013 "टू ऐनालाइज साइबर क्राइम अवेयरनेस ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स" स्कालरली रिसर्च जर्नल फॉर इंटर डिस्पिलीनरी स्टडीज (1) 1326–1330.
3. साइबर विधि एक परिचय डॉ. जयप्रकाश मिश्र सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।
4. मेहता सरोज एंड विकाराम "ए स्टडी ऑफ अवेयरनेस अबाउट साइबर लॉ इन इंडियन सोसायटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर साइंस चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा 1/4 2016080220519052579254त्मचवतजचकनिध्ण

### Journals:-

1. Alam, K. & Halder, U.k. (2018). Aggression And Academic Achievement of higher Secondary Students. North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities. 4(4). ISSN: 2454-9827.

### osclkbV&

[https://www.pdfdrive.com>cyber-c.](https://www.pdfdrive.com>cyber-c)

\*<https://legislative.gov.in>filespdf>

\*\*<https://www.latestcarenews.com>>

\*\*<https://www.cybercrime.gov.in/upload>

\*\*\*<https://ncrb.gov.in/ht/भारत>